due to paucity of funds, the proposed line is not likely to merit adequate priority for inclusion in the Fourth Five Year Plan.

Paper Mill in Tripura

4118. **Shri Mohammad Ismail**
Shri Ganesh Ghosh:
Shri S. K. Modak:
Shri Bhagaban Das:
Shri Jyotirmoy Basu:

Will the **Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government of Tripura propose to have a Paper Mill, a Plywood Factory and a Jute Mill in Tripura; and

(b) if so, the steps being taken to establish these mills and factories early?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes, Sir

(b) A licence for the establishment of an undertaking for the manufacture of Plywood has been issued to a private party which they have still to implement.

In February, 1965 a letter of intent was issued to a private party for the setting up of a Jute Mill. This had to be withdrawn, as the party was not in a position to arrange for import of machinery on terms acceptable to Government. At present there is no other proposal for jute manufacturing plant in that State before Government for consideration.

As regards Paper Mill, a Project in the Public Sector will have to be thought of in relation to the overall programme within the Eastern Region within the financial resources that may be available.

पूर्व रेलवे में फायरमैनों की पदावनति

4119. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्यामदह डिवीजन के सकड फायरमैनों ने फायरमैन के पद क्लीनर के पद पर उनकी पदावनति की जाने के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में मकदमा [संख्या 2985 (डब्ल्यू), 1966] दायर किया था,

(ख) क्या उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी की थी, जिस में सम्पूर्ण पूर्वी रेलवे प्रशासन को अनदेश दिया गया कि वह इस प्रकार की पदावनतियां तुरन्त रोक दें;

(ग) क्या उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा दी जाने के बाद स्यालदह, आसनसोल, हावड़ा और धनबाद में सेकंड फायरमनो की क्लीनरों के पदों पर पदावनतियां को रोक दिया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दानापुर डिवीजन के अधिकारियों ने डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, दानापुर के आदेश संख्या ई० कार्यालय आदेश संख्या 1822/1966 के द्वारा उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना करके अनेक सकड फायरमनो को पदावनत कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० पु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। सेकन्ड फायरमैन के पद से क्लीनर के पद पर परावर्तन आदेश के विरुद्ध नहीं, बल्कि कुछ फालतू फायरमैनों को फायरमैन ग्रेड II अथवा की वैकल्पिक श्रेणी में तैनात किये जाने से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था।